

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/65/2015

तारीख रजु 02.07.2015

उनवान

1. भरतलाल पुत्र श्री रामधन जाति गुर्जर निवासी तह0 हिण्डौन जिला करौली
-----वादी

बनाम

1. कैलाशी पुत्र चैंटा वगै0 जाति गुर्जर निवासी अलीपुरा तह0 हिण्डौन जिला करौली
-----प्रतिवादीगण 05

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 11.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादी की ओर वकालतन एक दाबा ग्राम अलीपुरा तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 785,786,848,849,850,851,881,882,883,884,1008, 1033,1034,2338 / 1009,2340 / 1020,894,778,885,228,236,237,903,904,915,916,934,2372 / 893,2374 / 902,894,895,896,897,898,899,901905,906,907,908,909,910,921,922,923, 924,734,735,736,737,738,755,756,900,908 / 2249,911,912,913,915 / 2269,932,937,938, 939,940,941 में स्थाई निषेधाज्ञा का दाबा पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील को बार-बार आवाज दिलाई गई। वादी वकील को तलवी के कई बार अवसर दिये गये। पत्रावली दिनांक 11.12.2019 को तलवी व जबाव की स्टेज पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए। जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दाबा में कोई रुचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का दावा मुकदमा नंबर 65/2015 श्री भरतलाल बनाम कैलाशी वगै0 अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

